5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

104

# न्यायालय माननीय राजस्व मंडल ग्वालियर (म0प्र0)

RBR/Avrani/धार/2017/2341

नारायण पिता गंगाराम जाति कुलमी उम्र 48 वर्ष

धंधा खेती निवासी ग्राम जोतपुर व उरदना तह. मनावर जिला धार

.......................निगरानीकर्ता

**बनाम**

1. मोतीलाल पिता गंगाराम जाति कुलमी
2. हिरालाल पिता गंगाराम जाति कुलमी

निवासीयान ग्राम कोसवाडा तह. मनावर जिला धार

..........................विपक्षीगण

श्री ... द्वारा आज दि. 25.7.17 को ... ऑफ कोर्ट ... म.प्र. ग्वालियर

25.7.17

## निगरानी अर्ज धारा 50 म.प्र. भूरासं 1959 मुजब

**मान्यवर महोदय,**

सेवा में निगरानीकर्ता का अत्यंत विनम्रता से अर्ज है कि ग्राम उरदना तहसील मनावर जिला धार में स्थित भूमि सर्वे नंबर 64/1/2 रकबा 6.688 हैक्टर व सर्वे नंबर 64/1/1/3 रकबा 0.418 हैक्टर होकर उक्त भूमि की विधिक मालिक गोदावरीबाई पति गंगाराम कुलमी होकर गोदावरीबाई द्वारा स्वस्थ चित्त से अपनी इच्छा से स्वयं ने अपनी इच्छा जाहिर कर निगरानीकर्ता की सेवाचाकरी से प्रसन्न होकर एक वसीयतनामा दिनांक 11.07.2015 को गवाह रामनारायण पाटीदार व कांजी पाटीदार के समक्ष विधिक रूप से निष्पादित करवाया है। उक्त वसीयतनामा विधिक रूप से नोटरी से तस्दीक है वसीयतनामे पर पूर्ण स्वेच्छा से गोदावरीबाई ने अपने हस्ताक्षर किये है। गवाहो के समक्ष अपने हस्ताक्षर किये है व विधिक वसीयत निष्पादित की है। निगरानीकर्ता विधिक मालिक है आधिपत्यधारी है। उक्त भूमि पर गोदावरीबाई के फौत होने के बाद विपक्षीगण ने असत्य आवेदन पत्र तहसीलदार महोदय मनावर के समक्ष नामांतरण हेतु प्रस्तुत किया है जो प्रकरण क्रमांक 24/अ-6/2015-16 पर दर्ज हुआ है जिसमें निगरानीकर्ता द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की व शपथ पत्र पेश किया है वसीयत पेश की है। ऐसी दशा में अधिनस्थ न्यायालय को वसीयत प्रमाणित करने हेतु साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करना था परंतु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने प्रकरण क्रमांक 24/अ-6/2015-16 में दिनांक 19.07.2017 को आपत्ति निरस्त कर दी। अधिनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विरूद्ध है साक्ष्य का अवसर देना था वसीयत प्रमाणित करने हेतु साक्ष्य का

# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

**प्रकरण कमांक** PBR/निगरानी/धार/भू.रा./2017/2341

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 14–9–2017 | आवेदक की ओर से श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक, उपस्थित । उनके द्वारा प्रकरण आगे नहीं चलाये जाने का अनुरोध किया गया । अतः आवेदक अभिभाषक के अनुरोध पर यह प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । <br><br> (मनोज गोयल) <br> अध्यक्ष | |